


153

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

निगरानी प्रकरण क्रमांक /2016

141-I-17



लटूवा तनय कसौला अहिरवार आयु 60 वर्ष
पेशा कृषि निवासी ग्राम मुहारा तहसील जतारा
जिला टीकमगढ मध्य प्रदेश

.....निगरानीकर्ता

बनाम

चिन्जा पत्नि धनीराम अहिरवार (सेवा निवृत्त
लिपिक राजस्व विभाग) पुत्री उदई अहिरवार
निवासी ग्राम मुहारा तहसील जतारा
जिला टीकमगढ मध्य प्रदेश

2- / मध्य प्रदेश शासन द्वारा तहसीलदार जतारा
जिला टीकमगढ मध्य प्रदेश

.....अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959

न्यायालय तहसीलदार जतारा जिला टीकमगढ मध्य प्रदेश के प्रकरण क्रमांक
13अ-70/2015-2016 मे पारित आदेश दिनांक 22-11-2016 से व्यथित होकर यह
निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

3

236

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- निगरानी-141-एक/2017

जिला-टीकमगढ़

लटूवा अहिरवार विरुद्ध चिन्जा व म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22-08-2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह निगरानी तहसीलदार जतारा, जिला-टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 13/अ-70/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 22-11-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-9-2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-टीकमगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 04-11-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(जे0के0 जैन) सदस्य</p>